153)

Map officer 9

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय में (मानचित्र अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में और साथ ही साथ राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में मानचित्र अधिकारी के उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (मानचित्र अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
मानचित्र अधिकारी	01* (2001) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325-15200 रुपये

क्या चयन-गुणावगुण या चयन-सह-वरिष्ठता अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
5	6	7
चयन-सह-वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं

154)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : इस ग्रेड में 5 (पांच) वर्षों की नियमित सेवा वाले अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र)/अनुसंधान अधिकारी (ड्राईंग) टिप्पणी 1.—ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियो के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि से आधी से कम न हो अथवा दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो। टिप्पणी 2.—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित ग्रेड पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में ही तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, अथवा (2) जिन्होंने 8000-13500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से भूगोल में मास्टर डिग्री।

12		
	(2) मानचित्र की ड्राईंग, प्रिंटिंग और मानचित्र बनाने में पांच वर्ष का अनुभव हो जिसमें अनुप्रयुक्त मानचित्रकारी में दो वर्ष का अनुभव शामिल है। (फीडर प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्गबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना		भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):— (1) भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष (2) भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12032/6/99-प्रशा. 2]

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

New Delhi, the 22nd January, 2001

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, and Ex-officio Census Commissioner for India (Map Officer) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Map Officer in the Office of the Registrar General, India, as well as the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Map Officer) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, its classificaiton and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by Order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any calss or categories of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Caste the Scheduled Tribes, and other special categories of provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection post
1	2	3	4	5
Map Officer	01* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Selection-cum-seniority

Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational Qualification and other Qualification required for direct recruits.
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
9	10	11	12
Not applicable	Nil	By promotion failing which by deputation.	PROMOTON Research Officer (Map)/Research Officer (Drawing) with five years' regular service in the grade. Note 1 : Where Junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considerd provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying ellgibility or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for appointment to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post.

If a Departmental Promotion Co composition

Group 'A' Departmental Promo promotion)

1. Registrar General, India—Cl

2. Joint Registrar General, Ind

12	
Deputation: Officers under the Central Government: (a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With five years' regular service in post in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master's degree in Geography from a recognised University or equivalent; (ii) Five years' experience in Drawing, Printing and production of Maps including two years' experience in applied Cartography. (The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Registrar General, India—Chairman 2. Joint Registrar General, India—Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12032/6/99-Ad.II]

J. K. BANTHIA, Registrar General, India

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003–05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, फरवरी 8–फरवरी 14, 2009, शनिवार/माघ 19–माघ 25, 1930

No. 5] NEW DELHI, FEBRUARY 8—FEBRUARY 14, 2009, SATURDAY/MAGHA 19—MAGHA 25, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में (मानचित्र अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय (मानचित्र अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 होगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (मानचित्र अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में,—

(क) कालम 5 के अधीन संबंधित शीर्षक एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद
5
प्रवरण";

159)

(ख) कालम 11 के शीर्षक में "पदों की प्रतिशतता" शब्दों के स्थान पर "रिक्तियों की प्रतिशतता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) कालम 13 के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) :

1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य
3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य"

[फा. सं. ए-12032/6/99-प्रशा.-II/प्रशा.-V]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 10 फरवरी, 2001 के सा.का.नि. 72 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 2nd February, 2009

G. S. R. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Map Officer) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Map Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Map Officer) Recruitment Rules, 2001,—

(a) under column 5, for the heading and entries, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

" Whether selection post or non-selection post.
5
Selection." ;

(b) in the heading of column 11, for the words "percentage of the post", the words "percentage of vacancies" shall be substituted;

(c) under column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Registrar General, India —Chairman
2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs —Member
3. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India —Member."

[F. No. A-12032/6/99-Ad-II/Ad.-V]

D. S. SAINI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G. S. R. 72, dated the 10th February, 2001.